आ.पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़

पूनिश्चय :

30\. पत्रावली पेश हुई। वादीमय वकील हाजिर सुना गया, संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सापुन्दा की जमाबंदी संवत् 2069-72 के खाता सं० नया-पुराना 58-447 भूरी देवी पत्नी गोकुल नाथ, मदननाथ S/. गोकुल नाथ, इन्द्रा, पार्वती, निशा पुत्रियां गोकुलनाथ के नाम दर्ज हैं, जिसके खसरा न. 895/384, रकबा 3 बिघा बारानी। है, इस खसरा न. को 384/31 दर्शाया गया है जिसके नवीन खसरा नं० 779/1246 बनाए गए हैं, जो साबित खसरा न. 474/2 जिसके नए नम्बर 778 हैं के समिप नहीं है। इसको दुरुस्त करने के लिए वादी ने वादपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी का जवाब प्राप्त किया गया जिसमें पैरोकार सरकार-द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तहसीलदार की रिपोर्ट जो उपखण्ड अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रार्थीया को प्रति दी पत्र क्रमांक 7085-86 दिनांक 08-11-17 का तथा परिपत्र क्रमांक/राम/भु.अ./G3/62/2014/10102 दि 20-06-14 राजस्व मण्डल अजमेर व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 व 131 व 133 लैण्ड रैवन्यु एक्ट का स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सरवाड़ प्रकरण की जांच कर धारा 131 व 133 लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत नक्शा दुरुस्ती की कार्यवाही जाँच पुराने और नये नक्शे का मिलान कर करें। डिक्री परचा जारी हो। आदेश अटल सेवा केन्द्र लल्लाई में सुनाया गया।

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

सदस्य
ग्राम अदालत
सरवाड़

ऐसीएम
लोक अदालत शिविर
सरवाड़ (अजमेर)

Scanned by CamScanner